न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— **69/2017 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री भैरूलाल बैरवा अधिवक्ता निवासी तेलीखेड़ा सांगानेर त0 भीलवाड़ा	**बनाम**	सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार जहाजपुर
—अपीलार्थी		—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 20/09/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार जहाजपुर के विरूद्ध दिनांक 31.07.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 674616 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 19.05.2017 को प्रस्तुत कर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार जहाजपुर से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 19.05.2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 10/08/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को दिनांक 13.09.2017 के सूचना पत्र जारी किए गए। नियत दिनांक 13.09.2017 को अपीलार्थी उपस्थित हुआ तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट पत्रांक 270 दिनांक 08.09.2017 से प्राप्त हुई। दिनांक 13.09.2017 को पीठासीन अधिकारी के राजकीय कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 20.09.2017 नियत की गई। आगामी सुनवाई दिनांक 20.09.2015 को अपीलार्थी अनुपस्थित प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि द्वारा अपना पक्ष रखते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी को प्रतिलिपि शुल्क की राशि 32.00 रूपये जमा कराने हेतु पत्र दिनांक 14जून, 2017 को भिजवाया जिसकी पालना में अपीलार्थी ने प्रतिलिपि शुल्क की राशि 32.00 रूपये का आइ.पी.ओ79जी–592768 का भिजवाया जो तहसील कार्यालय जहाजपुर में दिनांक 29.06.2017 को प्राप्त होना बताया। इसके उपरान्त अपीलार्थी को पत्रांक 64 दिनांक 13.07.2017 को जरिये पुष्पक कोरियर जहाजपुर के माध्यम से वांछित सूचना तैयार कर प्रेषित की गई।

हमने प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि को सुना तथा पत्रावली में प्रस्तुत आवेदन एवं प्रत्यर्थी की रिपोर्ट पत्रांक 270 दिनांक 08.09.2017 को अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी के द्वारा नकलें तैयार की जाकर अपने पत्रांक 64 दिनांक 13.07.2017 से जरिये डाक प्रेषित की जो नियमानुसार सही होने से उक्त अपीलार्थी की अपील में बल नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 20/09/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा